

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 जिला कार्यालय धीरनबाड
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 गौरीदयाजी निवेदन है कि राजल श्रम गीम की दानी खाता नं 112 में प्राण/गण
 के पिता का नाम सखन से ताक दर्ज की गया है। उक्त श्रम को ताक के
 बजाय लालचन्द मना प्रतीकित है।

[Signature]
 01-11-21
 42310

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरांया की जाती है / ~~की जाती है।~~

[Signature]
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 11/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गीमकी 610	2015-78	112	रतनलाल झा ताक शमकुमार झा ताक	रतनलाल झा लालचन्द शमकुमार झा लालचन्द

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/689-90
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी